



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-547 राँची, शुक्रवार,

29 अक्टूबर, 2021 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।

संकल्प

16 अगस्त, 2017

विषय: झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार संगठन में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में ।

संख्या- 3025/043/०नि० जियाडा2017/14-संशोधन-- झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन संकल्प ज्ञापांक-1638 दिनांक 16.05.2016 द्वारा किया जा चुका है। इसे प्रभावकारी बनाने तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने हेतु इसमें निम्न संशोधन किया जाता है:-

2. **कंडिका 4.1 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होंगे** -:"झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" (जियाडा)के अध्यक्ष , मंत्री, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे। इसमें एक प्रबंध निदेशक का पद होगा, जो भा0प्र0से० (विशेष सचिव /अपर सचिव/ संयुक्त सचिव स्तर)के पदाधिकारी होंगे । प्रबंध निदेशक की नियुक्ति/पदस्थापन सरकार द्वारा की जायेगी ।

3. **कंडिका 4.2 इस प्रकार प्रतिस्थापित होंगे** -:"झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" में कुल पांच निदेशकों (I, II, III, IV एवं V) का स्थायी निदेशक मंडल होगा

- i). सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
- ii). सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
- iii). सचिव / अपर वित्त आयुक्त, योजना-सह- वित्त विभाग
- iv). निदेशक, उद्योग
- v). प्रबंध निदेशक, जियाडा- सह- सचिव -सदस्य

इसके अतिरिक्त 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिन्हें औद्योगिक संगठनों/ औद्योगिक घरानों/ उद्योगपतियों में से उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा नामित/ मनोनीत किया जायेगा।

ये तीनों सदस्य "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" की बैठक में परामर्शी के रूप में भाग लेंगे तथा मत विभाजन की स्थिति में इनके मत का कोई मान्य नहीं होगा।

इन्हें कोई वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा, परन्तु इनके मानदेय एवं यात्रा भत्ता पर "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" (जियाडा) के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जायेगा

4. कंडिका-4.2 (i to vii) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित होंगे:-

- i. "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" में सचिव के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा, जो अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (झा०प्र०से०) स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- ii. राँची, आदित्यपुर, बोकारो एवं संथाल परगना स्थित वर्तमान प्राधिकारों के कार्यालय "झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" के क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवर्तित हो जाएँगे एवं इनके प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक होंगे। क्षेत्रीय निदेशक, अपर सचिव /संयुक्त सचिव/उप सचिव (भा०प्र०से० /झा०प्र०से०) स्तर के पदाधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति/ पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।
- iii. सभी क्षेत्रीय निदेशक के अंतर्गत एक या एक से अधिक क्षेत्रीय उप निदेशक का पदस्थापन किया जा सकेगा, जो संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (झा०प्र०से०) स्तर के पदाधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति /पदस्थापन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।
- iv. क्षेत्रीय निदेशक सीधे प्रबंध निदेशक, झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (Jharkhand Industrial Area Development Authority) को प्रतिवेदित करेंगे।
- v. राज्य/ कार्य हित में विभिन्न प्राधिकार के वर्तमान कर्मचारी एवं कैडर का विलय एक एकीकृत कैडर में किया जाएगा।

5. **कंडिका 7-में निम्न दो कंडिका भी समाहित होगी -:**

7 (i). प्रबंध निदेशक उन सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जो पूर्व में क्षेत्रीय प्राधिकार के प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता था ।

7 (ii). प्रबंध निदेशक, निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर अपने दायित्वों को क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेंगे ।

6. संकल्प संख्या 1638 दिनांक 16.05.2016 की कंडिका-8 (i to iv). को निरस्त किया जाता है ।

7 . संकल्प संख्या 1638 दिनांक 16.05.2016 की अन्य कंडिका यथावत रहेगी ।

8 . यह संकल्प निर्गत की तिथि से लागू माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हा०/

सरकार के सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

Organizational Structure of

Jharkhand Industrial Area Development Authority

